

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 197115 /

पटना, दिनांक 21/08/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/सी0ए0-03-03/2013

प्रेषक,

एस0एम0 राजू, (भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

(अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, दरभंगा, जहानाबाद, कैमूर, खगडिया,
लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पूर्णियाँ, सारण, शेखपुरा
एवं शिवहर) को छोड़ कर ।

विषय:-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अंकेक्षण फर्मों को दिये गये
नियुक्ति पत्र से संबंधित सूचना विभाग को उपलब्ध कराने एवं
अंकेक्षण फर्मों के बकाया विपत्रों के भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक- 194378 दिनांक- 28.07.2014 पत्रांक- 191709,
दिनांक- 10.07.2014 एवं पत्रांक- 185000 दिनांक- 07.05.2014

महाशय,

उपरोक्त प्रासांगिक पत्र के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों का चयन कर भेजते हुए
अनुरोध किया गया था कि नियुक्ति पत्र का तामिला संबंधित फर्म के साथ 02 दिनों
के अंदर करते हुए संबंधित प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना
सुनिश्चित किया जाय जो सम्प्रति अबतक अप्राप्त है ।

इसके पूर्व आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वर्ष 2012-13 में
अंकेक्षण का कार्य करने वाले अंकेक्षण फर्मों का यदि कोई बकाया हो तो अविलम्ब
उसका भुगतान कर दिया जाय ताकि नये प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को
उस जिले में अंकेक्षण का कार्य करने में असुविधा न हो तथा ICAI में दिये गये
प्रावधानों के आलोक में प्रतिनियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को वर्ष 2012-
13 में अंकेक्षण कार्य किए हुए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से NOC प्राप्त हो सके तथा
उनके द्वारा ससमय अंकेक्षण का कार्य शुरू किया जा सके ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवेदन विभाग को
अविलम्ब उपलब्ध कराये ।

इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन


(एस0एम0 राजू)

सरकार के सचिव